न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–108/2021 (2021/342) दर्ज दिनांक 15.09.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. चांदी पुत्री देवकिशन सुथार
2. रामलाल आत्मज देवकिशन सुथार

सर्व निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गेहरी लाल आत्मज लीलण सुथार
2. शंकर आत्मज खुबीराम सुथार
3. नारायण आत्मज बख्तावर गाडरी
4. मांगीलाल आत्मज देवीलाल भील
5. प्रहलाद आत्मज देवीलाल भील
6. गोपाल आत्मज मीठुलाल सुथार
7. धनराज आत्मज काशीराम सुथार

सर्व निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री गणपत राणवा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–01.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2695/1 रकबा 0.75 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 075 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 544 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश [illegible] प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना [illegible] पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा [illegible] 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2695/1 रकबा 0.75 हे0 भूमि कुल किता 01 कुल रकबा 075 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 544 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:19 IST
Reason: SelfAttested